आरबीई सं. 67/2019

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

NER

स. ई (एनजी)॰ I-2015/टीआर/20 — नई दिल्ली, दिनांक: 23.04.2019

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

दिनाँक 07.06.19
प्रमुकाधि
मुकाधि/प्र०
APO/HQ
Ch-05/Ruling

विषय: अंतर-रेलवे स्थानान्तरण के अनुरोध के लिए न्यूनतम सेवा शर्त।

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 31.08.2015 के पत्र सं. ई (ओ) III/2014 /पीएल/05 के पैरा (xi) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया था कि अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के मामले में, रेलवे में कार्यभार ग्रहण करने के पांच (05) वर्ष पूरा होने के बाद ही अंतर-रेलवे स्थानांतरण के अनुरोध पर विचार किया जाएगा। कुछ क्षेत्रीय रेलों ने स्पष्टीकरण मांगा है कि (i) क्या प्रशिक्षण अवधि को पांच वर्ष की गणना में शामिल किया जा सकता है और (ii) क्या उन चार श्रेणियों के अलावा, जिन्हें बोर्ड के दिनांक 10.02.2017 के समसंख्यक पत्र के तहत 5 वर्ष के प्रतिबंध से छूट दी गई है, पुरानी बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों की एक अतिरिक्त श्रेणी को भी इस छूट में शामिल किया जा सकता है।

103

2. बोर्ड कार्यालय में इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतर-रेलवे स्थानान्तरण अनुरोध के विचारार्थ पात्र होने के लिए रेलवे में पाँच वर्ष की सेवा की गणना करते समय प्रशिक्षण अवधि, जहाँ कहीं निर्धारित की गई है, को भी गिना जाएगा। जहां तक न्यूनतम पांच वर्ष पूरा करने के नियम से छूट देने के लिए कर्मचारियों की अतिरिक्त श्रेणी को शामिल करने का संबंध है, इसके लिए सहमति नहीं दी गई है।

कृपया पावती दें।

(इससे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दिनांक 23.9.2015 के पत्र सं. पी-एचक्यू/आरयूएल/116/1/2413 और पश्चिम रेलवे के दिनांक 25.10.2018 और 30.01.2019 के पत्र सं. ईपी1140/ओ वॉल.IV का निपटान हो जाता है।)

कार्यालय महाप्रबन्धक (का...)
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
प्रचारित
ई०पी०सं० 011-14
क्रमांक सं० 60/2019
पत्र सं० ई/283/1/भाग-3 (चार)
दिनांक...

(एम.के.मीणा)
उप निदेशक स्था. (एन),
रेलवे बोर्ड